न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या : 111/2021

प्रार्थीगण

1. द्वारकाराम पुत्र तेजाराम
2. पुरखाराम पुत्र तेजाराम
3. बागाराम पुत्र गुमनाराम
4. बींजलाराम पुत्र गुमनाराम
5. शंकरराम पुत्र तेजाराम जाति राईका निवासी रेबारियों की बेरी पटवार हल्का राणासर कलां तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. जेताराम पुत्र वगताराम
2. ढेफीदेवी पत्नी प्रागाराम
3. निम्बाराम पुत्र सवाराम
4. भेराराम पुत्र प्रागाराम
5. रामूदेवी पत्नी सवाराम
6. लीलादेवी पत्नी रूड़ाराम
7. सुरताराम पुत्र जोगाराम जाति राईका निवासी रेबारियों की बेरी पटवार हल्का राणासर कल्लां तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।
8. द्रोपदी पत्नी सुरताराम
9. नाबालिग देवराज पुत्र सुरताराम की कुदरती वली माता शायती पत्नी सुरताराम
10. विरधाराम पुत्र चोखाराम
11. शांयती पत्नी सुरताराम
12. निम्बाराम पुत्र कानाराम
13. भींयाराम पुत्र कानाराम
14. हीरा पत्नी कानाराम जाति विश्नोई निवासी रेबारियों की बेरी पटवार क्षेत्र राणासर कल्लां तहसील धोरीमना
15. कबूल पुत्र उसमान
16. जुमा पुत्र उसमान
17. सुमार पुत्र उसमान
18. हुरबाई पत्नी हुसैन
19. हुसैन पुत्र उसमान जाति सिंधी मुसलमान निवासी रेबारियों की बेरी पटवार क्षेत्र राणासर कल्लां तहसील धोरीमना
20. नोजीदेवी पत्नी बींजलाराम
21. कनका पत्नी बेचराराम
22. केशाराम पुत्र बेचराराम
23. [illegible] पुत्र टीकमाराम
24. [illegible]कलाराम पुत्र हेमाराम
25. [illegible] पुत्र महेन्द्राराम
26. धुड़ाराम पुत्र राणाराम
27. नरींगाराम पुत्र महेन्द्राराम
28. निम्बाराम पुत्र कालूराम

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:29:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

29. भूराराम पुत्र हेमाराम
30. भैराराम पुत्र कालूराम
31. मालाराम पुत्र हेमाराम
32. रूगाराम पुत्र महेन्द्राराम
33. रूपाराम पुत्र कालूराम
34. लूंभाराम पुत्र हेमाराम
35. वगताराम पुत्र राणाराम
36. विरधाराम पुत्र कालूराम
37. शंकराराम पुत्र बेचराराम
38. शान्ती पत्नी नवाराम
39. हरचंदराम पुत्र टीकमाराम
40. हरिराम पुत्र कालूराम
41. हासीदेवी पत्नी कालूराम जाति राईका निवासी रेबाणियों की बेरी पटवा क्षेत्र राणासर कल्लां तहसील धोरीमना
42. तहसीलदार धोरीमना

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 21.12.2021

अधिवक्ता :–

1. **श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री ओमप्रकाश विश्नोई विप्रार्थीगण**

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 17.05.2024

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ग्राम रेबारियों की बेरी पटवार क्षेत्र राणासर कलां तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 144 क्षेत्रफल 15.5885 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम की भूमि आई हुई है। जिसकी जमाबन्दी नकल व नक्शा ट्रैस साथ संलग्न है। उपरोक्त खसरे की भूमि पर प्रार्थीगण का पैतृक/खरीद सुदा हैं जो पैतृक/खरीद से आज दिन तक खातेदारी में दर्ज होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढा–सेढ ही विप्रार्थी संख्या 01 से 41 की भूमि आई हुई है, कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 41 तक के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा चिन्ह् नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 41 तक के बीच काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:29:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

रहता है। तथा विप्रार्थी संख्या 01 से 41 तक प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा प्रार्थीगण को उनकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढो बाबत् विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि का श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के कार्यालय से भूमि सीमाज्ञान का आदेश क्रमांक/भू. अ./2021/560 दिनांक 28.06.2021 पटवारी हल्का राणासर कलां को सीमाज्ञान का आदेश किया था। श्रीमान तहसीलदार साहब धोरीमन्ना के आदेश की पालना में दिनांक 12.07.2021 को हल्का पटवारी राणासर कलां द्वारा उपरोक्त खसरे का प्रार्थीगण व मौतबरान् के रूबरू शुरू किया था । रूबरू खातेदार व पडौसी खातेदार के मुश्तिकिल बिन्दु कायम कर सीमाज्ञान किया गया तथा पडौसी खातेदार यानि विप्रार्थी संख्या 01 से 41 तक के खातेदार द्वारा सीमाज्ञान में अपने खेत में जरीब चलाने से इन्कार किया व मौके पर खसरो के खातेदारों के बीच सेढे को लेकर विवाद है बताया गया है। व विप्रार्थी संख्या 01 से 41 तक ने सीमाज्ञान नहीं करने दिया तब हल्का पटवारी ने विवाद की स्थिति होने के कारण नेखमबंदी का आदेश श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त करने हेतू श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मौके पर विवाद की स्थिति होने के कारण राजस्व कर्मचारियों को शांतिपूर्ण नेखमबंदी करने हेतू संबंधित पुलिस थाना हल्का धोरीमना को निर्देशित किया जावें कि वो नेखमबंदी के दौरान मौके पर शांति बनाये रखने हेतू पुलिस ईमदाद प्रदान करावें। प्रार्थी नेखमबंदी संबंधी सामग्री मौके पर उपलब्ध करवाने एवं नेखमबंदी संबंधी फीस अदा करने को तैयार है। वादग्रस्त भूमि मौजा रेबारियों की बेरी पटवार मण्डल राणासर कलां तहसील धोरीमन्ना में स्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकर्रर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– रूपये का साथ पेश है। अतः श्रीमान्जी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ग्राम रेबारियों की बेरी पटवार क्षेत्र राणासर कलां तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 144 क्षेत्रफल 15.5885 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम के चारों तरफ पक्की नेखमबन्दी/ पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश फरवाने की कृपा करावें। का पेश किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना [illegible] विप्रार्थीगण 01 से 42 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए [illegible] गये नोटिसों की डाक रसीदें मय डिलीवरी रिपोर्ट प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:29:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

विप्रार्थी संख्या 21 से 27, 29,31, 32, 34, 35 37 से 39 तक की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई उपस्थित हुए।

विप्रार्थी 01 से 21, 24, 28, 30, 33, 35 से 38, 40, 41 को नोटिस भेजे गए एक माह से ज्यादा समय होने के कारण दिनांक 24.03.2023 को विप्रार्थीगण के हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।

विप्रार्थी संख्या 21 से 27, 29,31, 32, 34, 35 37 से 39 के वकील न की ओर से प्रार्थना पत्र जवाब यह हैं कि पैरा संख्या 01 गलत होने से अस्वीकार हैं खसरा संख्या 124 प्रार्थीगण का नहीं है। पैरा संख्या 2 व 3 गलत होने से अस्वीकार है।, पैरा संख्या 04 में वर्णित आदेश खसरा संख्या 144 का हैं जो इस आवेदन में नहीं है। पैरा संख्या 05 से 9 गलत होने से अस्वीकार है। विशेष आपत्ति– कि मौके रिपोर्ट व राजस्व आवेदन में वर्णित खसरा संख्या भिन्न होने से प्रथम दृष्टया राजस्व आवेदन खारीज योग्य है। तथा आवेदन में तकनिी बिन्दु महत्वपूर्ण है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जावें का पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया ।

प्रार्थी वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत के चारो तरफ पक्की नेखमबन्दी का आदेश प्रदान करावों ताकि खेत के चारो तरफ पक्की बाड़/ बाढ बना सके, खेती रखवाली के लिए बाड़ बना सके, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा आवेदन आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के पेश कर आवेदन में लिपिकीय त्रृटि का सुधार न्यायालय हाजा द्वारा कर दिया गया है। तकनीकि त्रृटि की वजह से प्रार्थीगण को न्याय सें वचित नहीं किया जा सकता है।

विप्रार्थीगण वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन, मनगढ़त तथ्यों के आधार पर होने से खारीज योग्य है, प्रार्थी अपने खेत की नेखमबन्दी करवाने के हकदार नहीं है। विप्रार्थीगण को परेशान व तंग करने के लिए आवेदन पत्र किया हैं जो मय खर्चा खारीज योग्य है। मूल आवेदन में खसरा गलत होने से आवेदन खारीज योग्य है। तकनीकि बिन्दु महत्वपूर्ण होता है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली–भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्राम रेबारियों की बेरी पटवार क्षेत्र राणासर कलां तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 144 क्षेत्रफल 15.5885 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड है। पत्रावली [illegible] से स्पष्ट है कि दिनांक 12.07.2021 को पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 144 [illegible] हेतु प्रयास किय गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कारवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना,बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:29:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कर दिया गया, प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी ग्राम रेबारियों की बेरी पटवार क्षेत्र राणासर कलां तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 144 क्षेत्रफल 15.5885 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

– : : आदेश : : –

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है, तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम रेबारियों की बेरी पटवार क्षेत्र राणासर कलां तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 144 क्षेत्रफल 15.5885 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर, सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे–खर्चे से उसके ग्राम रेबारियों की बेरी पटवार क्षेत्र राणासर कलां तहसील धोरीमना के खसरा नम्बर 144 क्षेत्रफल 15.5885 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.20 17:29:52 IST
Reason: SelfAttested

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner